रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 6, 2001/आश्विन 14, 1923
No. 273] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6, 2001/ASVINA 14, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2001

अंतिम निष्कर्ष

विषय :—चीन जनवादी गणराज्य से जिंक ऑक्साईड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 62/1/2000-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

क. प्रक्रिया

1 अधोलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है -

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपरोक्त नियमो के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज लि0 (टी आई एल) जिसका पजीकृत कार्यालय कालाली रोड, अटलादरा रोड, वडोदरा, गुजरात मे स्थित है और जिसकी सहायक कं. मै0 ट्रांसपेक मैटल्स एंड ऑक्साईड्स लि0 (टी एम ओ एल) है, ने मै0 डेमोशा कैमिकल्स

लि0, जिसका पंजीकृत कार्यालय 105 ए, मित्तल टावर्स, 210, नॉरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 में स्थित है और जिसकी सहयोगी कं. मै0 वेस्टर्न इंडिया लि0 (जिन्हें आगे याचिकाकर्त्ता भी कहा गया है) है, के साथ संयुक्त रूप से लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है), के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जिंक ऑक्साइड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है । याचिका का समर्थन मै0 प्रगति कैमिकल्स, मुम्बई द्वारा भी किया गया है । जांच की शुरूआत के बाद दमन मैटालिक ऑक्साईड, मुम्बई ने भी याचिका का समर्थन किया ।

(ii) याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर किए गए आवेदन की आरंभिक जांच करने पर उसमें कुछ खामियों का पता चला था जिन्हें बाद में याचिकाकर्त्ता द्वारा ठीक कर दिया गया था । इस प्रकार, याचिका को समुचित ढंग से प्रलेखित माना गया था ।

(iii) प्राधिकारी ने यथा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों के खिलाफ जाँच शुरू करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जॉच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन के आरोप की प्राप्ति के विषय मे नई दिल्ली स्थित चीन जन. गण. के दूतावास को सूचित किया ।

(iv) प्राधिकारी ने 8.12.2000 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहॉ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची । के सीमाशुल्क कोड 2817.0001 के तहत वर्गीकृत संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई ।

(v) प्राधिकारी ने दिनांक 5.3.2001 को प्रारम्भिक निष्कर्षो को अधिसूचित किया और ज्ञात हितबद्ध पक्षो को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी और उन्हे पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विचार, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

(vi) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ भिजवायी कि संबद्ध वस्तु के निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार उपरोक्त (v) में यथा उल्लिखित समय-सीमा में भेजने की सलाह दी जा जाए ।

(vii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया था) और उद्योग एसोसिएशनो को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया ।

(viii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियो को दिनाक 9.5.2001 को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था । मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित मे दर्ज करने का अनुरोध किया गया था । पार्टियों को प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और उसका खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

(ix) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यो के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई ।

(x) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से भी अनुरोध किया गया कि वे जांच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातो के ब्यौरे प्रस्तुत करे ।

(xi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क, जिन्हे पहले अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों मे प्रकाशित किया गया है, को संक्षिप्तता के कारण

इसमें दोहराया नही गया है । परन्तु हितबद्ध पार्टियो द्वारा बाद में दिए गए तर्को पर प्रारंभिक निष्कर्षो और/या इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है ।

(xii) उपरोक्त नियमो के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षो के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को 27.9.2001 को ज्ञात हितबद्ध पार्टियो के समक्ष प्रकट किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।

(xiii) इस अधिसूचना में *** से हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गयी सूचना प्रदर्शित होती है और नियमो के अंतर्गत प्राधिकारी ने उसे गोपनीय ही माना है ।

(xiv) जांच की अवधि (पी ओ आई) 1.4.1999 से 30.9.2000 मानी गयी है ।

ख. घरेलू उद्योग, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच

3. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों मे और प्रकटन विवरण पत्र में भी चर्चा की गयी है । जिन विचारो पर प्रारंभिक निष्कर्षो मे और प्रकटन विवरण-पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो मुद्दे अब प्रकटन विवरण के जबाव में उठाए गए हैं, उन पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहाँ तक वे नियमानुसार संगत हैं और जहाँ तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं । हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों की जांच की गयी है और जहाँ कहीं उचित समझा गया है, नीचे संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है ।

ग. 1. विचाराधीन उत्पाद

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं -

(i) मै0 नव भारत मैटेलिक ऑक्साइड इंडस्ट्रीज लि0

संबंधित संबद्ध वस्तु के लिए विश्व भर में अपनायी जा रही 3 विनिर्माण प्रक्रियाएं अर्थात् अमरीकी प्रक्रिया, फ्रांस प्रक्रिया और हाइड्रो ऑक्साइड प्रक्रिया है । प्रत्येक प्रक्रिया की भिन्न-भिन्न उत्पादन लागत और भिन्न-भिन्न उपयोग है ।

(ii) घरेलू उद्योग

मै0 नवभारत मैटेलिक ऑक्साइड इंडस्ट्रीज लि0 ने तक दिया है कि चीन के उत्पादकों द्वारा उपयोग में लायी गयी उत्पादन प्रक्रिया एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है जिसकी उत्पादन लागत कम है । तथापि यह मात्र एक अनुरोध है जिसे किसी भी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षो द्वारा किए गए अनुरोध को नोट करते हैं । वे नोट करते हैं कि तीन भिन्न भिन्न उत्पाद प्रक्रियाएं होने के बावजूद विचाराधीन उत्पाद जिंक ऑक्साइड है जो विवादास्पद नहीं है और इसके निश्चित अंतः प्रयोग हैं । घरेलू उद्योग जिंक आक्साइड के सभी ग्रेडों का उत्पादन कर रहा है और भिन्न-भिन्न अंतः प्रयोक्ताओं को आपूर्ति कर रहा है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और जहाँ तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, उस पर कोई विवाद नहीं है । विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुरोधो को देखते हुए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की पुष्टि करते हैं जैसा कि प्रारंभिक जांच निष्कर्षों के पैरा ग.1 में निर्णय लिया गया है ।

विचाराधीन उत्पाद जड एन ओ रासायनिक सूत्र वाला एक श्वेत/श्वेताभ जिंक ऑक्साइड है जिसका उत्पादन विभिन्न ग्रेडों अर्थात् रेगुलर ग्रे (99%), आई पी ग्रेड (99%), फीड ग्रेड इत्यादि में किया जाता है । यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 2817.0001 के अंतर्गत वर्गीकृत है । इस

उत्पाद का इस्तेमाल ऑटोमोबाईल टायरों और रबड़ की अन्य वस्तुओं के विनिर्माण, सेरेमिक उद्योग के लिए निविष्टि के रूप मं उपयोग में होने वाले सल्फेट क्लोराइड इत्यादि जैसे उच्च शुद्धता वाले जिंक रासायनों के विनिर्माण तथा पशु आहार के नुस्खों में संपूरक के रूप में किया जाता है । जिंक ऑक्साइड लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित है ।

यह उत्पाद ओ जी एल के तहत आयात योग्य है और इस पर 35 प्रतिशत का मूल शुल्क लगता है । वर्तमान में जिंक ऑक्साइड के सभी ग्रड शामिल हैं ।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं -

घरेलू उद्योग की स्थिति

(i) घरेलू उद्योग

यह याचिका ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज लि0, ट्रांसपेक मेटल्स एण्ड ऑक्साइड लि0 (टी एम ओ एल), देमोशा कैमिकल्स लि0 और वेस्टर्न इंडिया कैमिकल्स द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गयी है । इस याचिका का समर्थन प्रगति कैमिकल्स द्वारा किया गया है । याचिकाकर्त्ता कम्पनियों का उत्पादन जिंक ऑक्साइड के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । इस प्रकार याचिकाकर्त्ता कंपनियां नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं ।

(ii) ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए)

प्रकटन विवरण के बाद ए टी एम ए ने उल्लेख किया है कि टायर उद्योग द्वारा जिंक ऑक्साइड की वार्षिक खपत लगभग 25000 मी.टन है जो जिंक ऑक्साइड के प्रतिवर्ष अनुमानित वार्षिक 65000 मी.टन घरेलू उत्पादन का 40 प्रतिशत है । वर्तमान मे टायर उद्योग द्वारा जिंक ऑक्साइड का आयात नगण्य है इससे पहले अनुमानित 500 मी.टन का आयात किया जाता था । ए टी एम ए ने यह संकेत दिया है कि टायर उद्योग ने वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में रबड़ की क्रमशः 408400 मी.टन और 403360 मी.टन की खपत की थी ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण लघु उद्योग द्वारा किया जाता है । यद्यपि आल इंडिया जिंक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने देश में जिंक ऑक्साइड के उत्पादन के ब्यौरे प्रदान किए हैं तथापि प्राधिकारी की जानकारी में यह बात आयी थी कि देश में जिंक ऑक्साइड के उत्पादकों की कुल संख्या ऑल इंडिया जिंक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा बतायी गयी संख्या से अधिक है । प्राधिकारी ने कतिपय राज्यों के कुछेक उद्योग निदेशालयों से वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे प्राप्त किए हैं । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि मै0 ए टी एम ए ने यह दर्शाया है कि देश में जिंक ऑक्साइड का कुल उत्पादन 65000 मी.टन है और 40 प्रतिशत की खपत टायर उद्योग द्वारा की जाती है । ए टी एम ए ने टायर उद्योग द्वारा खपत की गयी रबड़ की मात्रा भी बतायी है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका सह-संबंध टायर उद्योग द्वारा रबड़ की खपत के बारे में भारतीय रबड़ पत्रिका द्वारा प्रकाशित आंकड़ो के साथ भी है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी लघु उद्योग के सभी उत्पादकों के आंकड़े पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, प्राधिकारी ने जिंक ऑक्साइड के उत्पादन का परिकलन अप्रत्यक्ष विधि से की है । प्राधिकारी यह समझते हैं कि जिंक ऑक्साइड का उत्पादन जिंक मेटल, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ड्रोस और जिंक एश से किया जा सकता है । प्राधिकारी ने इन चारों कच्ची सामग्रियों के उत्पादन मानदंडों के आधार पर देश में जिंक ऑक्साइड के कुल घरेलू उत्पादन का परिकलन किया है ।

घरेलू उद्योग और इंडिया जिंक लैड डिवलपमेंट एसोसिएशन के साथ हुई बातचीत के बाद प्राधिकारी ने यह नोट किया कि देश मे जिंक के दो प्रमुख उत्पादक हैं । ये उत्पादक हैं - मै0 हिन्दुस्तान जिंक लि0 और मै0 बिनानी जिंक लि0 । प्राधिकारी ने इन उत्पादकों द्वारा जिंक के उत्पादन के बारे मे सूचना इंडिया जिंक लैड डिवलपमेट एसोसिएशन से और इन दोनों उत्पादकों से भी सीधे प्राप्त की । प्राधिकारी ने रबड़, रसायन, ऑटोमोटिव क्षेत्र इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रो मे जिंक की खपत संबंधी पद्धति की भी जांच की । प्राधिकारी ने इंडिया जिंक लैड डिवलपमेंट एसोसिएशन से प्राप्त जबाव और इन दोनों जिंक उत्पादको से सीधे प्राप्त जबाव के आधार पर यह नोट किया कि जांच अवधि के दौरान मै0 हिन्दुस्तान जिंक लि0 द्वारा किया गया जिंक का कुल उत्पादन 145796 मी0टन और मै0 बिनानी जिंक लि0 द्वारा 29161 मी0टन था । दोनो उत्पादकों ने देश में जिंक ऑक्साइड के विनिर्माताओं को क्रमशः 3706 मी0टन और 3797 मी0टन की बिक्री की । खपत संबंधी पद्धति से यह पता चला कि देश में उत्पादित जिंक के 4.28 प्रतिशत का इस्तेमाल जिंक ऑक्साइड के विनिर्माताओं द्वारा किया जा रहा था । खपत संबंधी पद्धति के इसी मापदण्ड का इस्तेमाल डी जी सी आइ एंड एस के आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान आयातित जिंक पर किया गया है । जिंक ऑक्साइड विनिर्माता क्षेत्र में खपत किए गए आयातित जिंक का अनुपात 2660 मी0टन बनता है । दि इंडिया जिंक लैड डेवलपमेट एसोसिएशन ने बताया कि 175000 मी0टन, जो कुल जिंक उत्पादन के 70-75 प्रतिशत के बराबर है, की खपत गैलवेनाइजिंग क्षेत्र में की जाती है । इसमें से 10 से 15 प्रतिशत जिंक ड्रास के रूप मे वापस मिल जाता है । प्राधिकारी ने इस पद्धति के जरिए जिंक ड्रास की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए उच्चतर बैंच मार्क अर्थात् 15 प्रतिशत का संदर्भ लिया है । गैलवेनाइज प्रणाली के जरिए इस प्रकार से उपलब्ध हुआ जिंक ड्रास 26250 मी0टन बनता है । गौण स्रोत मिनरल्स एड मेटल्स रिव्यू

(एम एम आर) समीक्षा के अनुसार जांच अवधि के दौरान जिंक ड्रास के आयात 1157 मी0 टन के हुए हैं । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि तकनीकी खपत मापदंडों (एग्जिम नीति के अंतर्गत अग्रिम लाइसेंसों के मानदण्डों के साथ भी सहबद्ध) के अनुसार 850 मी0टन जिंक से 1000 मी. टन जिंक ऑक्साइड बनता है जबकि 900 मी. टन जिंक ड्रास से 1000 मी.टन जिंक ऑक्साइड बनता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां तक जिंक हाइड्रोक्साइड का संबंध है, यह प्राइम जिंक विधि से जिंक ऑक्साइड के उत्पादन की मध्यवर्ती अवस्था है और यह कि जांच अवधि के दौरान जिंक हाइड्रोक्साइड का कोई आयात नहीं किया गया है । जिंक ऐश, जिंक स्क्रेप अपशिष्ट विधि से प्राप्त होता है । वर्ष 1999-2000 के दौरान जिंक स्क्रैप का कुल आयात 45479 मी.टन का हुआ है । जिंक की अंतिम उपयोग प्रणाली और 0.85 के प्राप्ति अनुपात के आधार पर समस्त स्क्रैप को जिंक ऑक्साइड में तब्दील करने योग्य तत्व मानते हुए, जिंक एश/जिंक स्क्रैप विधि से किया गया कुल उत्पादन 915 मी0टन बनता है । अतः उपर दर्शाए गए जिंक के उपरोक्त स्रोतों के आधार पर जिंक ऑक्साइड का कुल उत्पादन 41192 मी0टन बनता है । यह माना गया है कि गाल्वनाइजिंग क्षेत्र से आयातित समस्त जिंक ड्रास का इस्तेमाल केवल जिंक ऑक्साइड के उत्पादन में किया जाता है । उन उत्पादकों के उत्पादन को छोड़कर, जिन्होंने नियम 2(ख) के अनुसार जांच अवधि के दौरान चीन से जिंक ऑक्साइड का आयात किया है, कुल पात्र घरेलू उत्पादन 27542 मी.टन बनता है । इसके अनुसार, घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा 37.9 प्रतिशत आता है ।

रबड़ उद्योग में जिंक ऑक्साइड की खपत के अनुसार प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता रबड़ उद्योग को जिंक ऑक्साइड के अपने उत्पादन के 95 प्रतिशत से अधिक की बिक्री करते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ए टी एम ए के उत्तर के अनुसार टायर उद्योग मे जिंक ऑक्साइड की कुल खपत 25000 मी.टन है जबकि टायर क्षेत्र मे रबड़ की खपत 408400 मी.टन है । चूँकि यदि टायर क्षेत्र में जिंक ऑक्साइड के 2 प्रतिशत के उपयोग मानदण्डो को लागू किया जाता है तो ये दोनों आंकड़े सहबद्ध नहीं होते हैं, इसलिए प्राधिकारी ए टी एम ए द्वारा यथा इंगित टायर उद्योग द्वारा जिंक ऑक्साइड खपत के 40 प्रतिशत के उपयोग संबंधी अनुपात के आधार पर रबड उद्योग में जिक के 2 प्रतिशत के इस्तेमाल, जो एग्जिम नीति में अग्रिम लाइसेस और 1999-2000 में रबड़ की कुल खपत के लिए उपलब्ध उत्पादन निविष्टि मानदण्डों में दर्शाया गया है, नोट करते हैं कि 1999-2000 में जिंक ऑक्साइड का कुल उत्पादन 20420 मी.टन बनता है जो याचिकाकर्त्ता के आधार को बरकरार रखता है ।

उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्त्ता नियम 5 (क) और 5 (ख) के अनुसार याचिका दायर करने के आधार की पुष्टि करते हैं और नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है । प्राधिकारी दिनांक 5.3.2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा ग(3) का स्मरण कर इसकी पुष्टि करते हैं ।

3. समान वस्तु

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु विभिन्न अंतिम उपयोग के क्षेत्रों में तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उनका एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है । हितबद्ध पक्षों में से एक पक्ष ने यह उल्लेख किया है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु का उत्पादन भिन्न-भिन्न विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और चूँकि घरेलू विनिर्माताओं के पास पूर्ण क्षमता उपयोग है इसलिए इसका अर्थ यह निकलता है कि संबद्ध देश से आयातित वस्तु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है और वह घरेलू बाजार में उत्पादित वस्तु के समान वस्तु नहीं है । विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर सूचना के आधार पर और द्वितीयक स्रोत से उपलब्ध की गयी सूचना के अनुसार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातित वस्तु तथा घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु की आम उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर खपत की गयी है ।

अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु तथा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं और प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा ग (2) की पुष्टि करते हैं ।

4. सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत

निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं -

(i) घरेलू उद्योग

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन के कई निर्यातकों/उत्पादकों और भारत में स्थित चीन के दूतावास को प्रश्नावली भेजी । तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को कोई जबाब नहीं दिया है जिससे हमारे इस दावे की भी पुष्टि होती है कि चीन के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में जिंक ऑक्साईड का पाटन किया जा रहा है ।

उक्त तर्क केवल एक वक्तव्य है, जिसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह चीन के उत्पादकों पर निर्भर करता है कि वे यह सिद्ध करें कि उनकी उत्पादन लागत कम है । कोई भारतीय आयातक चीन की उत्पादन लागत पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है क्योंकि पार्टी के पास इस संबंध में वास्तविक सूचना का प्राधिकार नहीं है । माननीय सीगेट द्वारा भी अनेक मामलों में, जिसमें जर्मनी और कोरिया के एन बी आर का मामला भी शामिल है, इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है । इस मामले में, चीन के निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई जबाब नहीं दिया है । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाना है ।

यह कहना भी संगत होगा, जैसा कि पहले बताया गया है, कि उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा जिंक है । वस्तुतः, परिवर्तन लागत और ऊपरी लागत मिलकर उत्पादन लागत का काफी कम प्रतिशत बनता है । जिंक चीन के उत्पादको के लिए उपलब्ध है और यह तुलनीय कीमतों पर भारत मे भी उपलब्ध है । ऐसा मामला होने के कारण यह समझ में नही आता है कि चीन में उत्पादन लागत निर्यात कीमत से किस प्रकार तुलनीय हो सकती है । निर्यात कीमत कारखाना द्वार स्तर पर उत्पादन लागत से काफी कम होनी चाहिए ।

इसके अलावा, यह अनुरोध है कि चीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला एक देश है जहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण संशोधित नियम, जो निम्नानुसार है, के आधार पर करना अपेक्षित होता है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा किसी ऐसे तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहाँ यह संभव न हो वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन, यदि आवश्यक हो, को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजन करके समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तव में भुगतान की गयी अथवा भुगतान योग्य कीमत समेत किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा ।"

उपरोक्त अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी देश में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जा सकता है:-

- बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत,
- बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य;
- भारत समेत अन्य देशों के लिए ऐसे किसी तीसरे देश की कीमत;
- उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने हेतु समायोजित भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत;
- उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने हेतु समायोजित भारत में वास्तव में भुगतान योग्य कीमत,

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी देश में सामान्य मूल्य का "निर्धारण समान उत्पाद के लिए भारत मे वास्तव में भुगतान की गयी अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया जा सकता है" जिसे, यदि आवश्यक हो, उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजित किया गया हो । प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने यह दोहराया है कि चूँकि किसी भी निर्यातक ने जबाब नहीं दिया है इसलिए कोई साक्ष्य न होने तथा मात्रा निर्धारण के मद्देनजर आयातक के तर्क को अस्वीकार किया जाए ।

2. **मैसर्स नव भारत मैटलिक ऑक्साईड इंडस्ट्रीज लि0**

सामान्य मूल्य

(i) सामान्य मूल्य किसी उचित तीसरे देश के लिए निर्यात कीमत के अनुसार लिया जा सकता है । इसके परिणामस्वरूप शिकायताधीन वस्तु का विभिन्न देशों अर्थात् आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईरान इत्यादि को निर्यात किया जा रहा है । उक्त वस्तु लगभग 850-900 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन की दर से (याचिकाकर्त्ता सहित) निर्यात किया जा रहा है जिसका सत्यापन स्वयं सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्यात संबंधी आंकड़ों से किया जा सकता है ।

इस प्रकार, सामान्य मूल्य को 900 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन प्राक्कलित किया जा सकता है ।

इसके विपरीत, याचिकाकर्त्ता ने इस तथ्य की जानकारी नहीं दी है और उसने केवल गौण स्रोतों पर विचार किया है जो सीमाशुल्क प्राधिकारियों के निर्यात संबंधी आंकड़ो की तुलना में विश्वसनीय नहीं हो सकते ।

(ii) निर्यात कीमत का प्राक्कलन

भारत में आयातित वस्तु की निर्यात कीमत वह कीमत है जो उक्त वस्तु के प्रथम स्वतंत्र क्रेता द्वारा उक्त वस्तु के लिए भुगतान की गयी है अथवा भुगतान-योग्य है ।

यदि हम पिछले तीन वर्षों के लिए समूचे विश्व से उक्त वस्तु के आयात संबंधी आंकड़ों को देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि उक्त उत्पाद का आयात विश्व के भिन्न-भिन्न भागों से किया जा रहा है । इन तथ्यो का सत्यापन सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी और प्रकाशित आयात संबंधी आंकड़ों से किया जा सकता है । इन आंकड़ों में हम विश्व के अन्य भागो अर्थात् हांगकांग, मलेशिया, नीदरलैंड, नाइजीरिया, फिलिपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड पर भी विचार कर सकते हैं । इन देशों ने संबद्ध देश की कीमत से कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात किया है ।

(प्राक्कलित विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 46.80 रूपये)

वर्ष	मात्रा (टन)	संयोजन मूल्य (लाख रूपये में)	दर प्रति किग्रा0 (रूपये)	अमरीकी डालर प्रति मी0 टन
1997-98	3083	1194.14	39.00	830.00
1998-99	6646	2632.90	40.00	850.00
1999-00	11746	4700.57	40.00	850.00
कुल	**21475**	**8527.61**	**40.00**	**850.00**

इसके अतिरिक्त वस्तुओं के आयात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी परिलक्षित होगा कि इस उत्पाद की निर्यात कीमत में काफी बड़ा अंतर है । ऐसा इसलिए है कि उत्पाद की कीमत का निर्धारण विनिर्माण की प्रक्रिया, ग्रेड और गुणवत्ता के अनुसार किया जा रहा है । चूंकि इस उत्पाद का प्रयोग अनेक उद्योगों जैसे रबड़,भेषजों,पेंट्स सिरामिक्स तथा कॉस्मैटिक्स आदि में किया जाता है, इसलिए प्रत्येक उद्योग इस उत्पाद के भिन्न-भिन्न ग्रेड और गुणवत्ता का इस्तेमाल करता है ।

इन तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत 850.00 यू0 एस डालर प्रति मी.टन होने का अनुमान लगाया जा सकता है ।

इसके विपरीत याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारियों के पास पहले से ही उपलब्ध तथ्यों पर विचार न करते हुए गौण स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्यात कीमत का अनुमान लगाया है । याचिकाकर्ता ने तुलना के लिए किसी अन्य देश की निर्यात कीमत को भी ध्यान में नहीं रखा है ।

(iii) **पाटन मार्जिन के अनुमान**

पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का अंतर है जिसे पाटन मार्जिन के नाम से जाना जाता है ।

अतः पाटन मार्जिन का परिकलन निम्नानुसार किया गया है:

सामान्य मूल्य	900.00 यू0 एस डालर प्रति मी.टन
घटा निर्यात कीमत	850.00 यू0एस डालर प्रति मी.टन
पाटन मार्जिन	50.00 यू0एस डालर प्रति मी.टन

(iv) **उत्पादन लागत**

याचिकाकर्ता ने उत्पादन लागत में अपनी उत्पादन लागत को लिया है जबकि उत्पादन लागत अलग अलग इकाइयों की अलग अलग होती है । अतः इसे सामान्य मानक स्रोतों से लिया जाना चाहिए । उद्योग जगत की प्रवृत्ति के अनुसार इस उत्पाद के लिए लागत तथा बिक्री कीमत हिन्दुस्तान जिंक लि0(भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा मासिक आधार पर घोषित कीमतों पर ली जा रही है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

धारा 9(क)(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

(i) समान वस्तु के लिए सामान्य व्यापार के रूप में तुलनीय मूल्य जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपयोग के निमित हो जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो, या

(ii) जब सामान्य व्यापार के रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती हो, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उपयुक्त अन्य देश से किया जाए जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाए;या

(ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत जिसमें प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपयुक्त राशि जोड़ी गई हो जिसका निर्धारण उप धारा (6)के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाए ।

बशर्ते कि ऐसे मामले जहां वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से इतर देश से किया गया हो और जहां वस्तु को निर्यात वाले देश से होकर केवल यानान्तरिक किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता हो या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं हो तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जबाब नहीं दिया है । इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना अर्थात क्षमता उपयोग, बैंच मार्किंग, सर्वोत्तम उपयोग संबंधी प्रणाली पर उपयुक्त समायोजनों के साथ तथा कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के संदर्भ में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का परिकलन करना उपयुक्त समझते हैं । भारित औसत सामान्य मूल्य *** डालर/प्रति मी.टन बैठता है ।

संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

प्राधिकारी नोट करते है कि याचिकाकर्ता ने द्वितीयक स्रोतों से आयातों के संबंध में पत्तन वार आंकड़े दिए हैं । इसके अलावा जांच अवधि के दौरान आयात संबंधी आंकड़े डी जी सी आई एंड एस द्वारा भी दिए गए हैं । एक आयातक ने 99.5% शुद्धता वाली जिंक आक्साइड के आयातों के बारे में भी आंकड़े दिए हैं । प्राधेकारी नोट करते हैं कि इन स्रातों से उपलब्ध आकड़े पूर्णतः संगत है और इसलिए, प्राधिकारी ने सी आई एफ कीमतों के प्रयोजनार्थ आयातकों के जबाब से सह-संबद्ध डी जी सी आई एंड एस के आकड़ों का संदर्भ लिया है । भारित औसत सी आई एफ कीमत*** डालर प्रति मीट्रिक टन बैठती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने समुद्री भाड़े,कमीशन,समुद्री बीमा, पत्तन खर्चों,स्वदेशी भाड़े के लिए क्रमश ***,***,***,*** और *** प्रति मी.टन तक समायोजनों का दावा किया है । प्राधिकारी दावा किए गए इन समायोजनों के लिए तथा प्रारंभिक निष्कर्षों में दी गई अनुमति के अनुसार और मौजूदा प्रणाली एवं मानदंडों से सह-संबद्ध समायोजनों की अनुमति देते हैं । कारखाना द्वार पर भारित औसत निर्यात कीमत *** डालर/प्रति मी.टन बैठती है ।

5. **पाटनः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना**

तुलना से संबंधित नियम में निम्नानुसार प्रावधान हैः

"पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वारस्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी, अंतर में शामिल हैं बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विशेषताए तथा अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रर्दिशत किए जाते हैं ।"

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत के साथ की है ।

संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैः-

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य(डालर/मी.टन)	निर्यात कीमत (डालर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)
चीन जन.गण. सभी निर्यातक/उत्पादक	***	***	42.3%

6. **क्षति और कारणात्मक संबंध**

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के अंतर्गत जब क्षति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है तो "ऐसे निष्कर्ष में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका

प्रभाव, ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामकारी प्रभावों समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा ।"मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गयी होता ।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध-II(iv)के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टाक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन जैसे संकेतकों पर विचार किया जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं ।

निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

(i) **घरेलू उद्योग**

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही चीन से होने वाले पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को स्वीकार किया है । हमलोगों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को पहले ही विस्तृत सूचना उपलब्ध करवा दी है जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है । निम्नलिखित मानदंडों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का पता चलता है:

(क) देश में उद्योग को जिंक आक्साइड के पाटन से क्षति हो रही है । उद्योग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों तथा निदेशालय के साथ किए गए पत्र व्यवहार से इस बात की पुष्टि होती है ।

(ख) संबद्ध वस्तुओं की मांग में कमी नहीं आई है । तथापि, जिंक आक्साइड की मांग में आयातों का बाजार हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है ।

(ग) यद्यपि उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री में वृद्धि हुई है तथापि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में जिंक की कीमतों के प्रतिशत के रूप में कमी आई है ।

(घ) पाटित आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा क्षति रहित कीमत से काफी कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में गंभीर कीमत अवमूल्यन/कटौती हुई है ।

(ड.) आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसके कारण घरेलू बाजार में गंभीर कीमत कटौती हुई है ।

(च) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गंभीर रूप से कमी आई है ।

(छ) निर्यात कीमत में रूपए तथा अमरीकी डालर दोनों रूपों में कमी आई है ।

(ज) पाटित आयातों के कारण बड़ी संख्या में विनिर्माता एककों ने या तो अपना उत्पादन रोक दिया है अथवा अपने प्रचालन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है ।

(झ) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों को उस अनुपात में बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति हुई है ।

सभी मानदंडों से समग्र तथा संचयी रूप से यह प्रमाणित होता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह निवेदन है कि क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करना अपेक्षित है । प्रकटन के जबाब में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि निर्धारित रूप में तथा अमरीकी डालर के रूप में पाटनरोधी शुल्क लागू किया जाए ।

इकाइयों का बन्द होना

यह कहा गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इकाइयों के बन्द होने के पीछे के कारणों की जांच करनी चाहिए क्योंकि कई इकायां बहुत पहले से बन्द हो गई हैं ।

हमारा अनुरोध है कि चीन से वस्तु का लम्बे समय से पाटन हो रहा है, जिसके कारण इकाइयां एक के बाद एक बन्द हो गयी । हमने निर्दिष्ट प्राधिकारी को पहले ही आयातों के सूचना के ब्यौरे उपलब्ध करा दिए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि चीन से निर्यातक कुछ समय से उत्पाद का पाटन कर रहे हैं ।

ii) **मै. नवभारत मैटालिक आक्साइड इंडस्ट्रीज लि0**

लाभप्रदता

दोनों याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन की समान लागत और उनके द्वारा की गई बिक्री प्राप्ति के आधार पर अलग लाभप्रदता दिखाई है, जिसका अपने आप में यह अर्थ है कि उत्पादन की लागत में एक इकाई से दूसरी इकाई में भिन्नता है और जो पिछडे क्षेत्र को छूट, क्रय नीति और बिजली भुगतान क्षमता, मजदूरी लागत, विनिर्माण प्रक्रिया भंडार स्तर, प्रक्रिया अवधि, कर्जदाता और कर्जदारों की अवधि जैसे विभिन्न कारकों का परिणाम है ।

इकाइयों का बन्द होना

याचिकाकर्ता ने ऐसी विभिन्न इकाइयों के नाम दिए हैं जिन्होंने जिंक आक्साइड का अपना उत्पादन स्थगित कर दिया है/बन्द कर दिया है ।

इकाइयों के बन्द होने के पीछे अनेक कारण हैं जैसे कि श्रमिक समस्या, कच्ची सामग्री की समस्या, वित्तीय कमजोरी और तकनीकी समस्याएं इत्यादि । इसके अलावा प्राधिकारी को उन कारणों पर गौर करना चाहिए जिनकी वजह से उन्होंने अपना उत्पादन स्थगित/बन्द कर दिया है । प्राधिकारी को उस समय पर भी गौर करना चाहिए जब से यह इकाइयां बन्द की गई हैं । प्राधिकारी को इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता पर विचार करना चाहिए ।

ऐसी कुछ इकाइयां है जिन्होंने अपना प्रचालन कई वर्ष पूर्व बन्द कर दिया है ।

कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

अन्य देशों से आयातों की मात्रा एवं उनका मूल्य

प्राधिकारी विश्व के अन्य देशों से वस्तु की आयात मात्रा और मूल्य को उद्धत कर सकते हैं । इस उत्पाद का विश्व के अन्य भागों से आयात किया जा रहा है और उत्पाद की कीमत दोनों तरफ से देश वार भिन्न है । अर्थात उत्पाद की प्रक्रिया शुद्धता और ग्रेड के अनुसार उच्च और न्यून है । उत्पाद की कीमत तय करने में प्रक्रिया, शुद्धता और ग्रेड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन कारकों में से किसी भी कारक में मामूली परिवर्तन होने से भी कीमत पर्याप्त रूप से प्रभावित हो जाएगी ।

इसके विपरीत याचिकाकर्ता यह कह रहा है कि चीन से इतर अन्य देशों से आयात काफी उच्च कीमतों पर हो रहे हैं । याचिकाकर्ता ने इस बात की अनदेखी की है कि ऐसे अनेक देश हैं जहां आयात कीमतें चीन की कीमतों से काफी कम हैं और अनेक देश ऐसे भी हैं जहां आयात कीमतें काफी अधिक हैं । यह अंतर उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया, ग्रेड और शुद्धता के कारण है । जिंक आक्साइड पर पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण जिंक धातु के आयातों में वृद्धि होगी जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी ।

उपरोक्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी निम्नानुसार पाते हैं

1. वर्ष 1997-98 और 98-99 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन 1997-98 में 8637 मी.टन से बढ़कर 1998-99 में 9504 मी.टन और जांच अवधि में बढ़कर 10458 मी. टन वार्षिक हो गया है । घरेलू बिक्रियां 1997-98 में 6450 मी.टन से बढ़कर 1998-99 में 6702 मी.टन तथा जांच अवधि में आगे और बढकर 7399 मी.टन (वार्षिक)हो गई हैं । क्षमता उपयोग 1997-98 में 71.98% से बढकर 1998-99 में 79.2% तथा जांच अवधि में आगे और बढकर 84.7% हो गया है ।

तथापि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने कुछेक ग्राहकों को गवां दिया है ।

2. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में वर्ष 1997-98 में हुए 2147 मी.टन से वर्ष 1998-99 में 4325 मी.टन और जांच अवधि में 3587 मी.टन तक (वार्षिक) वृद्धि हो गई है ।

3. जांच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री की निवल बिक्री प्राप्ति घरेलू उद्योग के लिए जांच अवधि में संबद्ध वस्तु के बारे में निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम रही है । जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत पाटित वस्तु की पहुंच कीमत से अधिक है । प्राधिकारी का मानना है कि निवल बिक्री प्राप्ति में उक्त गिरावट संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की कम पाअत कीमतों के कारण आई है जिससे कीमत में कमी हुई है और परिणामतः घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है ।

4. संबद्ध वस्तु की मांग वर्ष 97-98,98-99 और जांच अवधि के दौरान लगभग 45000 मी.टन की रही है और उसमें गिरावट नहीं आई है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है । मांग का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा हेतु डी जी सी आइ एस के आंकडों का संदर्भ लिया है ।

कीमत में कटौती और कमी के परिदृश्य की जांच करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने अधिकतम उत्पादन और कच्ची सामग्री, खपत योग्य वस्तुओं, उपयोगिता इत्यादि के लिए उपयोगिता मानदंडों को मानकीकृत और उनकी बैंच मार्किंग के जरिए घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एन आइ पी) का मूल्यांकन किया है ताकि घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में कमी यदि कोई हो को समाप्त किया जा सके और यह कि ऐसी कमी के प्रभाव के लिए पाटित आयातों के द्वारा आई कीमत अवमूल्यन/कीमत गिरावट को ही घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेवार न ठहराया जा सके।
जिम्मेवार न ठहराया जा सके ।

5. प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा की गई कीमत में कमी की वजह से हुए वित्तीय घाटे तथा पाटित संबद्ध वस्तु के कारण कुछेक ग्राहकों को गवाएं जाने की वजह से क्षति हुई है ।

7. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है तथा भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में होगी ।
आयातकों में से एक आयातक ने यह तर्क दिया है कि जिंक आक्साइड पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से जिंक के आयातों के रूप में विदेशी मुद्रा के भुगतान में वृद्धि होगी । प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है जिससे प्रमुख एवं गौण उत्पादों का तुलनात्मक व्यापार प्रवाह प्रभावित हो सकता है ।

प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि हालाँकि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित/उत्पादित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है तथापि पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त किया जा सकेगा और भारतीय उद्योग के ह्रास को रोका जा सकेगा तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी । पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होंगे इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

पहुंच मूल्य

संबद्ध वस्तु के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण भारित औसत सी आई एफ निर्यात कीमत, सीमाशुल्कों के प्रचलित स्तर (धारा 3,3क,8ख,9,9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) और एक प्रतिशत उतराई प्रभारों को जोड़ने के बाद किया गया है ।

(घ) **निष्कर्ष**

पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद यह देखा गया है कि:

(क) संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी स्वरूपों का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है ।

(ख) संबद्ध देश से पाटित संबद्ध वस्तु की कम पहुंच कीमतों के कारण कीमत में हुई कमी की वजह से घरेलू उद्योग को हुई कम निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) के रूप में वास्तविक क्षति हुई है जिससे उसे वित्तीय घाटा हुआ है ।

(ग) घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई है । प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित, अध्याय 28 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी रूपों/ग्रेडों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । किसी भी ग्रेड/शुद्धता का जिंक आक्साइड, जिसे यदि किसी अन्य शीर्ष अर्थात् 38123001 और 28179000 के अंतर्गत आयात किया जाता है तो उस पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू होगा ।

(घ) पाटन के मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करना आवश्यक समझा गया था ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके । तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2817.0001 के अध्याय 28 के अंतर्गत आने वाले चीन जन.गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी ग्रेडों पर केन्द्र सरकार द्वारा नीचे यथा निर्धारित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

क्र.सं.	निर्यातक/उत्पादक का नाम	उत्पाद	शुल्क की राशि(अम.डालर/मी.टन)
1.	**चीन जन.गणराज्य** सभी निर्यातक/उत्पादक	99.5% शुद्धता वाले जिंक आक्साइड के सभी ग्रेड	289.90

प्राधिकारी मानते है कि यदि संबद्ध देश से वस्तु के अपेक्षाकृत कम जिंक तत्व/शुद्धता का निर्यात किया जाता है तो पाटनरोधी शुल्क आनुपातिक रूप से भिन्न-भिन्न होगा अर्थात 49.75% शुद्धता/जिंक तत्व वाले जिंक आक्साइड के निर्यातों पर 144.95 डालर/मी.टन का पाटनरोधी शुल्क लगेगा अर्थात यह 99.5% शुद्धता वाली संबद्ध वस्तु के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा ।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी दिनांक 5.3.2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं ।

इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2001

FINAL FINDINGS

Subject :—Anti-Dumping investigation concerning imports of zinc oxide from PR China

No. 62/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A PROCEDURE

The procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from the M/s Transpek Industries Ltd. (TIL) having registered office at Kalali Road, Atladra Road, Vadodara, Gujarat and its subsidiary Co. M/s Transpek Metals and Oxides Ltd. (TMOL) jointly with M/s Demosha Chemicals Ltd. having registered office at 105A, Mittal Towers, 210, Nariman Point, Mumbai-400021 with its associate company M/s Western India Ltd. (hereinafter also referred to as petitioner) on behalf of domestic industry, alleging dumping of Zinc Oxide (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Peoples Republic of China (hereinafter referred to as subject country). The petition is also supported by M/s Pragati Chemicals, Mumbai. Subsequent to initiation Daman Metallic Oxides, Mumbai has also supported the petition.

(ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioner revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.

(iii) The Authority on the basis of prima-facie evidence as received decided to initiate the investigation against imports of subject goods from People's Republic of China. The Authority notified the Embassy of People's Republic of China in New Delhi about the receipt of the dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules.

(iv) The Authority issued a public notice dated 8.12.2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under Custom Code 2817.0001 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Peoples Republic of China.

(v) The Authority notified preliminary findings dated 5.3.2001 and forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter.

(vi) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the subject country in New Delhi with a request that the exporters of subject goods and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (v) above.

(vii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2).

(viii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 9.5.2001. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

(ix) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;

(x) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.

(xi) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in the preliminary findings and/or these findings;

(xii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 27.9.2001 and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

(xiii) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

(xiv) The period of investigation (POI) considered is 1.4.1999 to 30.9.2000

B. VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES & EXAMINATION BY AUTHORITY

The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

C.1 PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The Authority notes that the following arguments have been made on the product under consideration:-

(i) M/S NAV BHARAT METALIC OXIDE INDUSTRIES LIMITED

There are three manufacturing processes for the concerned subject goods adopted all over the world viz. American process, French process and Hydro Oxide process. Each process has different cost of production and different uses.

(ii) DOMESTIC INDUSTRY

M/s Nav Bharat Metalic Oxide Industries Limited have argued that the production process employed by the Chinese producers is a direct process which leads to lower cost of production. However, this is merely a submission, which is not substantiated by any evidence.

EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes the submissions made by various interested parties. It notes that despite there being three different product processes, the product under consideration is zinc oxide which is not disputed and it has specific end uses. The domestic industry has been producing zinc oxide of all grades and supplying to different end users. The Authority notes that there is no response from any of the producers/exporters from PR China and that there is also no dispute as far as the Product Under Consideration is concerned. The Authority in view of the above submissions made by various interested parties confirms the Product Under Consideration as held in the preliminary finding in para C.1

The Authority reiterates that the product under consideration is Zinc Oxide a white/off white powder with chemical formula ZnO, produced in various grades viz. regular grade (99%), IP Grade (99%), Feed Grade etc. The product is classified under Custom Tariff Head 2817.0001. The product is used in manufacture of automobile tyres and other rubber goods, manufacture of high purity Zinc chemicals such as sulphate, chloride etc. and is used as an input for ceremic industry and as a supplement in animal feed formulations. Zinc Oxide is reserved for production in the small-scale sector.

The product is importable under OGL and attracts a basic duty of 35%. The present investigation covers all grades of Zinc Oxide.

2. **STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

The following submissions have been made:

STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY:

(I) **DOMESTIC INDUSTRY**

The petition has been filed jointly by Transpek Industry Limited, Transpek Metals & Oxides Limited (TMOL), Demosha Chemicals Limited and Western India Chemicals. The petition is supported by Pragati Chemicals. Production of the petitioner companies constitute a major proportion of the Indian production of Zinc Oxide. The petitioner companies thus constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

(II) **AUTOMOTIVE TYRE MANUFACTURERS ASSOCIATION (ATMA)**

Subsequent to the Disclosure Statement, ATMA has mentioned that annual consumption of zinc oxide by the tyre industry is approximately 25000 MT, which is 40% of the estimated domestic production of 65,000 MT of zinc oxide per annum. At present import of zinc oxide by the tyre industry is negligible, earlier an estimated 500 MT used to be imported. ATMA has indicated that in 1999-2000 and 2000-2001 the tyre industry consumed 408400 MT and 403360 MT of rubber respectively.

EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes that the product under consideration is manufactured by the small-scale industry. Though All India Zinc Manufacturing Association has provided details of zinc oxide production in the country, it had come to the notice of the Authority that the total number of producers of zinc oxide in the country is more than the producers as indicated by All India Zinc Manufacturing Association. The Authority has received details on actual production from some Directorate of industries, in certain states. The Authority notes that M/s ATMA has indicated that the total production of zinc oxide in the country is 65,000 MT and 40% is consumed by the tyre industry. ATMA has also indicated the quantity of rubber consumed by the tyre industry. The Authority notes that this also correlates with the data published by Indian Rubber Journal regarding

consumption of rubber by the tyre industry. Keeping in view the fact that the data of all SSI producers may not be exhaustively available, the Authority has constructed production of zinc oxide by indirect method. The Authority understands that zinc oxide can be produced from zinc metal, zinc hydroxide, zinc dross and zinc ash. The Authority on the basis of production norms of these four raw materials has constructed the total domestic production of zinc oxide in the country.

The Authority noted after interactions with the domestic industry and India Zinc Lead Development Association that there are two major producers of zinc in the country. These are M/s Hindustan Zinc Ltd. and M/s Binani Zinc Ltd. The authority gathered information on the zinc production by these producers from the India Zinc Lead Development Association and also from these two producers directly. The Authority also examined the consumption pattern of zinc in various sectors like rubber, chemicals, automotive sector etc. The authority on the basis of the response received from the India Zinc Lead Development Association and also directly from the two zinc producers noted that the total zinc production in the POI by M/s Hindustan Zinc Ltd. was 145796 MTs and by M/s Binani Zinc Ltd. was29161 MTs. The two producers sold 3706 MT and 3797 MT respectively to the Zinc Oxide Manufacturers in the country. The consumption pattern indicated that 4.28% of the zinc produced in the country was being used by the Zinc Oxide manufacturers. The same consumption pattern norm has been applied on the zinc imported during POI as per the data of DGCI&S. The proportion of imported zinc consumed in the zinc oxide manufacturing sector came to 2660 MT. The India Zinc Lead Development Association indicated that 175000MT equivalent to 70-75% of the total zinc production is consumed in the galvanizing sector. Out of this 10 to 15% is recovered as zinc dross. The Authority has referenced the higher benchmark i.e. 15% for evaluating the availability of zinc dross through this route. The zinc dross thus made available though the galvanized route comes to 26250 MTs. The zinc dross imports during POI as per the secondary source Minerals and Metals Review (MMR) review is 1157MT. The Authority notes that as per the technical consumption norms (also correlated with norms of advance license under EXIM Policy) 850 MT of zinc gives 1000 MT of zinc oxide while 900 MT of zinc dross gives 1000 MT of zinc oxide. The Authority notes that as regards zinc hydroxide it is an intermediate stage of zinc oxide production from the prime zinc route and that there are no zinc hydroxide imports made during the POI. Zinc ash

is available from the zinc scrap waste route. The total imports of zinc scrap during 1999-2000 is 45479 MT. Considering all of the scrap as usable for conversion to zinc oxide, on the basis of end use pattern of zinc and recovery ratio of 0.85, the total zinc oxide produced from zinc ash/zinc scrap route comes to 915 MT. The total zinc oxide production therefore, on the basis of the above sources of zinc as indicated above come to 41192 MTs. It has been presumed that all the zinc dross imported from the galvanizing sector goes into the production of the zinc oxide only. By removing the production of those producers who have imported zinc oxide from China in POI as per Rule 2(b), the total eligible domestic production comes to 27542 MT. The domestic industry's share in domestic production as per this comes to 37.9%.

As per the consumption of zinc oxide in the rubber industry, the Authority notes that the petitioners sell more than 95% of their production of zinc oxide to the rubber industry. The Authority notes that as per the response of ATMA, the total consumption of zinc oxide in tyre industry is 25000 MT while rubber consumption in the tyre sector is 408400 MT. Since the two data do not correlate if 2% usage norms of zinc oxide in tyre sector is applied, the Authority on the basis of the utilisation ratio of 40% consumption of zinc oxide by tyre industry as indicated by ATMA, usage of 2% of zinc in the rubber industry which is indicated under the input output norms available for advance license in the EXIM Policy and total consumption of rubber in 1999-2000, notes that the total production of zinc oxide in 1999-2000 comes to 20420 MT which also upholds the standing of the petitioner.

The Authority in view of the above holds that the petitioners satisfy the standing to file the petition as per rule 5(a) and 5(b) and represents the domestic industry as per rule 2(b). The Authority recalls and confirms para C(3) of the preliminary finding dated 5.3.2001.

3. **LIKE ARTICLE**

The Authority notes that the subject goods as produced by the domestic industry and those exported from the subject country are technically and commercially substitutable in various end-use sectors and are used interchangeably. One of the interested parties have indicated that imported subject goods from the subject country are produced by different manufacturing process and since the domestic manufacturers have full capacity utilization implies that imported goods from the subject country are used in different sectors and are not Like Article to the goods produced in domestic market. The Authority on the basis of information filed by various interested parties and as available from secondary source notes that the goods imported from the subject country and those domestically produced have been consumed by the common customers interchangeably.

The Authority in view of this, therefore, holds that the subject goods imported from the subject country and that manufactured by the domestic industry are Like Article within the meaning of the Rule 2(d) and confirms para C(2) of preliminary finding

4. **NORMAL VALUE & EXPORT PRICE**

The following submissions have been made·

1. **DOMESTIC INDUSTRY**

The Designated Authority sent questionnaire to a number of exporters/producers in China and Embassy of China in India. However, none of the producer/exporter responded to the Authority, which also establish our claim that the exporters/producers from China are dumping Zinc Oxide in the Indian Market.

The argument is a mere statement, unsubstantiated with any evidence. It is for the Chinese producers to establish that they have lower cost of production. An Indian importer can not comment on cost of production in China, as the party is not privy to the factual information in this regard. This view has been upheld by the Hon'ble CEGAT also in a number of cases, including in the matter of NBR from Germany and Korea. In the instant case, the exporters from China have not responded to the Designated Authority. Therefore, the normal value has to be determined on the basis of best available information.

It would also be relevant, as pointed out earlier, that a very significant portion of cost of production is zinc. In fact, the conversion cost and overhead costs command a much lower percentage of cost of production. Zinc is available to the producers in China as also in India at comparable prices. Such being the case, it is not understood how the cost of production in China could be comparable to the export price. The export price has to be much lower than the cost of production at ex-factory level.

Further, it is submitted that China is a non-market economy country wherein the normal value is required to be determined on the basis of amended Rule, which reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin"

According to the above, normal value in a non-market economy country can be determined on the basis of followings.

- the price in a market economy third country,
- constructed value in a market economy third country,
- the price from such a third country to other countries, including India.
- the price actually paid in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
- the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin.

The normal value in a non market economy country "can be determined on the basis of the price actually paid or payable in India for the like product", duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. In response to the Disclosure, the domestic industry has reiterated that as none of the exporters has responded, the argument of importer in view of no evidence and quantification be rejected.

2. M/S NAV BHARAT METALIC OXIDE INDUSTRIES LIMITED

NORMAL VALUE

(i) The normal value can be taken by export price to an appropriate third country. As a result of this, the goods under complaint (Goods) is being exported to various countries i.e. Australia, Sri Lanka, Iran etc. The goods is being exported (inclusive of petitioner itself) at approx USD 850-900 PMT, which can be verified from the export data issued by Custom Authorities itself.

Hence the Normal Value can be estimated at USD 900 PMT.

On the contrary, the petitioner has not brought this fact into notice and has considered only the secondary sources, which may not be reliable as compared to the export data of the custom authorities.

(ii) **ESTIMATES OF EXPORT PRICE**

The export price of goods imported into INDIA is the price paid or payable for the goods by the first independent buyer of the goods.

If we will see the import data of the goods for last 3 years from all over the world, we will see that the product is being imported from different part of the world. These facts can be verified from the import data issued and published by the custom authorities. In those data we can even consider other parts of the world i.e. Hong Kong, Malaysia, Netherland, Nigeria, Philippines, Singapore, Thailand. These countries have export the product at lower price from the subject country.

(Estimated Exchange Rate 1 USD = Rs. 46.80)

Year	Quantity (Tonne)	Assemble value (Rs In lacs)	RatePer Kg. (Rs.)	USD PMT
1997-98	3083	1194.14	39.00	830.00
1998-99	6646	2632.90	40.00	850.00
1999-00	11746	4700.57	40.00	850.00
TOTAL	**21475**	**8527.61**	**40.00**	**850.00**

Further the analysis of import data for the goods will also reflect that there is huge variation in the export price of the product. It is because the price of the product is being established as per process of manufacturing, grade and quality. As the product is used in many industries like Rubber, Pharmaceuticals, Paints, Ceramics and Cosmetics, etc. Every industry use different grade and quality of the product.

On the basis of these facts, the EXPORT PRICE can be estimated at USD 850.00 PMT.

On the contrary, Petitioner again estimated the export price on the basis of information from the secondary sources and not considering the facts already available with the concerned authorities. The petitioner has not even considered the export price any other country for comparison.

(iii) ESTIMATES OF DUMPING MARGIN

The Dumping Margin is the difference between Normal Value and EXPORT PRICE Is know as "Margin of Dumping".

Hence the Margin of Dumping is calculated as follows.

Normal Value	:	USD 900.00 PMT
Less Export Price	:	USD 850.00 PMT
Margin of Dumping	:	USD 50.00 PMT

(iv) COST OF PRODUCTION

The cost of production taken by the petitioner has its cost of production, while the cost of production varies from unit to unit. Hence it must be taken from the general standard sources. As per the industry trend, the cost and sales price for the product is being taken on the prices declared by Hindustan Zinc Limited (A Govt. Of India Undertaking) on monthly basis.

EXAMINATION BY AUTHORITY

Under Section 9A(1)(c), *normal value in relation to an article* means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub section (6); or

(b) the cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The normal value for producers/exporters in PR China has been determined as under:

NORMAL VALUE

The authority notes that none of the producers/exporters for the subject goods has responded. The authority as per Anti-Dumping Rules therefore considers it appropriate to construct the normal value for the subject goods in the subject country on the basis of the best available information viz. data on the cost of production of the subject goods with appropriate adjustments on capacity utilization, bench marking best utilization practices and referencing international prices of raw materials. The weighted average normal value comes to ***$/MT.

The ex-factory export price of subject goods is determined as under:

EX FACTORY EXPORT PRICE

The authority notes that the petitioner has provided port wise data on imports from the secondary sources. Also the data on imports during POI has been provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). One of the importers has also provided data on imports of 99 5% purity Zinc Oxide. The authority notes that the data from these sources is quite consistent and authority has, therefore, referenced the DGCI&S data as also co-related with the importer's response for the purpose of CIF prices. The weighted average CIF price comes to ***$/MT. The authority notes that the petitioner has claimed adjustments on ocean freight, commission, ocean insurance, port expenses, inland freight to an extent of ***, ***,***,***, and ***$/MT respectively The Authority allows these adjustments as claimed and also as allowed during the preliminary finding and also as correlated with the existing practice and norms for these adjustments. The weighted average ex-factory export price comes to ***$/MT

5. DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The Authority has carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price for evaluation of dumping margin.

The dumping margin for the producers/exporters of the subject goods in the subject country are as under:--

Exporter/producers	Normal value ($/MT)	Export price ($/MT)	Dumping margin(%)
PR China			
All exporters/producers	*****	*****	42.3%

6. INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise tc depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

The following submissions have been made:

(i) DOMESTIC INDUSTRY

The Designated Authority has already acknowledged the injury caused to the domestic industry from the dumped imports from China. We have already provided detailed information to the Designated Authority, which shows that the domestic industry has suffered material injury from the dumped imports. The following parameters summarize injury to the domestic industry:

a) The industry is suffering from dumping of Zinc Oxide in the Country. The letters exchanged by the industry with the various Govt. Departments and with the Directorate are testimony to this effect.

b) Demand of the subject goods has not declined. However Market share of imports in the demand of zinc oxide has increased significantly.

c) Though there is increase in production, capacity utilization and sales, the selling price of the domestic industry has declined as a percentage of zinc prices on account of the dumped imports.

d) The landed value of dumped imports is much below the cost of production and non injurious price of the domestic industry, causing severe price depression/ suppression in the Indian market.

f) The landed value of imported material is significantly below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market.

g) Profitability of the domestic industry have been severe eroded.

h) Export price has declined both in terms of rupee and US $.

i) Large number of manufacturing units have either suspended their production or completely closed their operations due to dumped imports.

j) Cost of production of domestic industry increased significantly. However, the domestic industry has not been able to proportionately increase its selling prices, causing financial losses to the domestic industry.

All parameters collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury from the dumped imports.

In view of the foregoing, it is submitted that the preliminary findings are required to be confirmed with regard to injury and causal link. In response to the Disclosure, the domestic industry has requested for levy of anti dumping duties in fixed form and in US$ terms.

CLOSURE OF UNITS

It has been said that the Designated Authority should investigate reason behind closure of units as a number of units have been closed long back.

We submit that the material is being dumped from China since long, which has resulted in closure of units one by one. We have already provided detailed import information to the Designated Authority, which clearly shows that the exporter from China are dumping the product for quite some time.

(ii) **M/S NAV BHARAT METALIC OXIDE INDUSTRIES LIMITED**

PROFITABILITY

The two petitioner itself shows different profitability on the basis of same cost of production and sales realization taken by them, which itself means that cost of production differs from unit to unit and result from the various factors like exemption of Backward Area, Buying Policy and Power, Payment Power, Labour Cost, Manufacturing Process, Inventory Levels, Process Period, Period of Debtors and Creditors.

CLOSURE OF UNITS

The Petitioner has given names of various units which has been suspended/closed their production of Zinc Oxide.

There are many reason for closer of units i.e. Labour Problem, Raw material material problem, financial weakness and, technical problems etc. Further, the authorities must see the reason for which they have suspended/closed their production. The authorities must see the time since when the units are closed. The authorities should consider theproduction capacity of these units.

There are certain units which have closed there operation many years back.

EVIDENCE OF CASUAL LINK

VOLUME AND VALUE OF IMPORTS FROM OTHER COUNTRIES

The Authorities can extract the import volume and value of the goods from the other countries in the world. The product is being imported from other parts of the world and also the price of the product differ from country to country on the both side i.e. higher and lower depending on the process, purity and grade of the product. The process, purity and grade plays a vital role in deciding the price of the product. Even a minor change in any one factor of this will affect the price considerably.

On the contrary, the petitioner is saying that the imports from other countries other than China are at significantly higher prices. The petitioner has ignored that there are many countries where the import prices are significantly lesser than China prices and there are many countries where the import prices are significantly higher. This variation is due the manufacturing process, grade and purity of the product. Due to levy of anti dumping duty on zinc oxide, the imports of zinc metal will increase leading to outflow of foreign exchange.

The Authority after considering the above submissions observes the following

1. The production, domestic sales and capacity utilisation of the domestic industry have increased in the POI as compared to 1997-98 and 98-99. The production of subject goods by the domestic industry has increased from 8637 MT in 1997-98 to 9504 MT in 1998-99 and to 10458 MT in POI annualised. The domestic sales has increased from 6450 MT in 1997-98 to 6702 MT in 1998-99 and further to 7399 MT in POI (annualised). The capacity utilisation has increased from 71.98% in 1997-98 to 79.2% in 1998-99 and further to 84.7% in POI.

   However, the domestic industry has lost certain customers on account of the dumped imports.

2. The imports from PR China increased from 2147 MT in 1997-98 to 4325 MT in 1998-99 and were 3587 MT (annualised) in POI.

3. The Net Sales Realization (NSR) of the domestic sales of the subject goods by the domestic industry in the POI has been lower than the Non-Injurious Price (NIP) determined for the subject goods in the POI for the domestic industry. The NIP of the subject goods in the POI is above the landed prices of the dumped goods. The authority holds that the fall in the NSR has been on account of the low dumped prices of subject goods from the subject country which have caused price depression and consequentially financial losses to the domestic industry.

4. The demand of the subject goods has been around 45000 MT during 97-98, 98-99 and POI and has not declined and has, therefore, not led to injury to the domestic industry. The Authority has referenced DGCIS data for the quantum of imports to evaluate the demand.

In order to examine the phenomena of price undercutting and supression, the Authority has evaluated the Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry by normating and benchmarking the optimum production and utilisation norms for raw material, consumables, utilities etc. so that inefficiencies if any in the production process of the domestic industry are eliminated and the effect of such inefficiencies are not attributed to the injury to the domestic industry solely on account of price suppression/price depression caused by the dumped imports.

5. The Authority holds that domestic industry has suffered injury on account of financial losses due to price depression caused by dumped imports from the subject country and also due to loss of certain customers on account of the dumped subject goods.

7. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate dumping, which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

It has been argued by one of the importers that are to imposition of anti dumping duties on zinc oxide, the foreign exchange outflow by way of imports of zinc will increase. The Authority holds that the purpose of anti dumping duties is only to redress injury caused to the domestic industry due to unfair trade practice of dumping which might affect relative trade flows of down stream and upstream products.

The Authority also recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products which manufactured/produced with the usage of the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products are, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers. Imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

LANDED VALUE

The landed value has been determined for the subject goods after adding on weighted average CIF export price, the applicable level of custom duties (except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A) and one percent towards landing charges.

D. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing that:

a. The subject goods in all forms originating in or exported from the subject country have been exported to India below its normal value.

b. The domestic industry has suffered material injury by way of depressed Net Sales Realization (NSR) on account of price suppression caused by low landed prices of the dumped subject goods from the subject country leading to financial losses.

c. The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country. The authority recommends anti-dumping duty on imports of all forms/grades of subject goods falling under Chapter 28 originating in or exported from the subject country. Zinc Oxide of any grade/purity if imported under any other Head viz. 38123001 and 28179000 would also attract the anti-dumping duties.

d. It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less so as to remove the injury caused to the domestic industry. Accordingly, it is proposed that definitive anti dumping duties as set out below be imposed, by the Central Government on all grades of subject goods originating in or exported from PR China falling under Chapter 28 of the Customs sub-heading 2817.0001 of the Customs Tariff.

1	2	3	
Sl.No.	**Name of the exporter/ producer**	**Product**	**Amount of Duty(US$/MT)**
1.	**PR China** All exporters/producers	Zinc Oxide all grades 99.5% purity	289.90

The Authority holds that if lower content/purity of subject goods are exported from subject country, the anti-dumping duties would vary proportionately i.e. Zinc Oxide with 49.75% purity/zinc content would attract anti-dumping duty of 144.95 $/MT i.e. 50% of the duty prescribed for 99.5% purity subject goods.

Subject to above, the Authority confirms the preliminary finding dated 5.3.2001.

An Appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.